

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत /नगर पंचायत का नाम - दैचोरी/नैनीताल
तहसील नैनीताल जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग के नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.360 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.360 है0 वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग, रामनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पाण्डेगॉव द्वारा दिनांक 14/8/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधनों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नयापाण्डेगॉव दैचोरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.360 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


है0/नया विकास
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
पाण्डेगॉव
वि. ख. कोटाबाग (नैनीताल)


सदस्य
दैचोरी पंचायत
15 दलिया (स्वात पाण्डे गाँव)
को 800 कोटाबाग, नैनीताल, उत्तराखण्ड


है0/1
ग्राम विकास
वि. ख. कोटाबाग (नैनीताल)

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

पृष्ठ-23.1

दिनांक 14/8/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति / नैनीताल / ग्राम पंचायत पाण्डेगौव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	ग्रामवासियों के नाम
1	श्रीमान श्रीमान श्रीमान	श्रीमान श्रीमान
2	श्रीमान श्रीमान श्रीमान	श्रीमान श्रीमान
3	श्रीमान श्रीमान श्रीमान	श्रीमान श्रीमान
4	श्रीमान श्रीमान श्रीमान	श्रीमान श्रीमान
5	श्रीमान श्रीमान श्रीमान	श्रीमान श्रीमान
6	श्रीमान श्रीमान श्रीमान	श्रीमान श्रीमान

सरपंच
वन प्रभावत
बनारी - पिनाह

मसुदा
श्री. पं. वा. पाण्डे
श्री. ख. कोटाग (नि. वि.)

सदस्य क्षेत्र पंचायत
०५ दलिया (स्थात पाण्डे गाँव)
वि० ख० कोदनाग, नैनीताल, उत्तराखण्ड


 डॉ० पद्मनाभ दत्ता
 अध्यक्ष
 राष्ट्रीय विकास परिषद्
 नई दिल्ली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाडुंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगोंव में गोलजू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाडुंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगोंव में गोलजू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग के नव निर्माण (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.360 है0 वन पचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.360 है0 वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक 31/8/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1. श्री श्री. के. के. अरुण उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
2. श्री श्री. के. के. अरुण उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
3. श्री श्री. के. के. अरुण समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
कोटाबाग (नैनीताल)
4. श्री श्री. के. के. अरुण बी0डी0सी0 क्षेत्र सदस्य
उपखण्ड क्षेत्र पंचायत

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाडुंगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत देचौरी देगोंव नया पाण्डेगोंव में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देचौरी देगोंव मोटर मार्ग के नव निर्माण परियोजना हेतु 0.360 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम

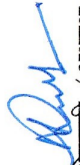
सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1569/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत काण्डा से खौल मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.360 हे0 वन पचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.360 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील -
जनपद -

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील -
जनपद -

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :-

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगौव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद नैनीताल विधान सभा क्षेत्र कालाढुंगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगौव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.360 है0 वन पंचायत भूमि लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रामनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा- सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Per-Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जल सभाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

19.1.19

जिलाधिकारी
नैनीताल

44A-23.3

2006-2007

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & others Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of National district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Miss./Mrs. Vinod Kumar Suman I.A.S. District Magistrate on dated 19.01.19 at time 6:00 PM At Nainital in which application claiming rights in Nainital Tehsil area measuring 0.450 hect. For the Constcruction of Road in (Gajari) Pandeygaon to Golju mandir at Consitunecny Kaladhugi in Block Kotabagh District Nainital Work forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Nainital sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objections / claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated:

19.01.19

District Magistrate-Cum-Chairman
District Level Committee
Nainital

जल मयज कल्याण अधिकारी
नैनताल

49

FORM-I

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital

Annexure-I

No.

Dated

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9 / 98- FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences of having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.360 hectares of forest land proposed to be diverted n favour of C.D. P.W.D. Ramnagar for Constuction of Road in (Gajari) Pandeygaon to Golju mandir at Consitunecny Kaladhugi in Block Kotabagh District Nainital falls within jurisdiction of Kaladhungi villages(s) in Pandeygaon in Kaladhungi tehsils.

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.360 hectares of forest area proposed for road. A copy of recors of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division LevelCommittii(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 Annexure 4 Nos.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

Ends As above.

Signature

19.01.19

(Full name and official seal of the Distirct Collector)

जल मयज कलधुग अधिकाारी
नैनीताल

FORM- II

(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Nainital

Annexure-II

No.

Dated

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9 / 98- FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences of having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.360 hectares of forest land proposed to be diverted n favour of C.D. P.W.D. Ramnagar for Constuction of Road in (Gajari) Pandeygaon to Golju mandir at Consitunecny Kaladhugi in Block Kotabagh District Nainital within jurisdiction of Kaladhungi, Pandeygaon villages(s) in Kaladhungi tehsil.

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.360 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of recors of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division LevelCommittii(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to Annexure ...

(b) The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of villages(s) is enclosed as annexure to annexure.....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

- (5)
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agrecultral Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

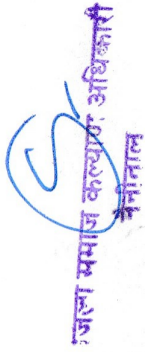
Encls As above.

Signature

 19.01.19

(Full name and official seal of the Distirct

Collector
देवीगढ


जिला समाज कल्याण अधिकारी
देवीगढ

Disposal / Management plan

While Preparing FCA case, if there is any activity in the project which involves digging of land, muck disposal / management plan has to be prepared.

This Should Include :

1. Calculation of muck to be generated. Swell factor has to be applied.
2. Quantity of muck to be utilized in the project activities.
3. Balance quantity of muck, which requires disposal\ management plan.
4. Carriage of muck from the muck generation site to the dumping site.
5. Ownership of land and consent of land owner, in case muck disposal is proposed on non-forest land photograph & carrying capacity of proposed dumping site (muck disposal site)
6. Development of dumping site- construction of retaining walls and other structure as per requirement of the site. The objective is to completely stop rolling down of the muck.
7. Rehabilitation of dumping site like leveling planting of grass shrubs and tree species.

Cost to be incurred on the above activities has to be given component wise. Detail of dumping site including length, width and height of structure to be erected must be mentioned.

Undertaking by the user agency has to be given to the effect that

- 1- Muck management plan will be implemented by the user agency and in case of non implementation of the plan, they will be liable to penalty/action.
- 2- The proposed dumping site is located away from river/steam/ nala

Instructions:

Dumping site should not be located in Reserve Forest